8/11/24





न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा
गजेन्द्र बनाम सरकार
प्रकरण संख्या–102/2024

आवेदक 1.गजेन्द्र सुमन आयु 44 वर्ष पुत्र श्री बिरधी लाल सुमन जाति माली निवासी 7 सी 19 महावीर नगर एक्सटेन्सन दादाबाड़ी कोटा 2.कुलदीप शर्मा आयु 39 वर्ष पुत्र श्री श्याम सुन्दर जाति ब्राहम्ण निवासी 9–ए आर.के.पुरम कोटा द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन किया गया। आवेदक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल चाहता है। विक्रय पत्र तथा तहसील द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर का अवलोकन किया गया। वाद में एकमात्र निर्धारित किए जाने वाला बिन्दु यह है कि क्या आवेदक राजस्व रिकॉर्ड में अमल की पात्रता रखता है तथा प्रश्नगत भूमि आवेदक के खाते दर्ज की जानी चाहिए। उक्त तथ्य को प्रमाणित करने का भार भी प्रार्थी पर है। प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत करने के साथ ही कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी वाके ग्राम कॅवरपुरा वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है। उक्त विक्रय के पेटे समस्त निर्धारित राशि का भुगतान भी उसके द्वारा किया जा चुका है। तथा प्रश्नगत आराजी का कब्जा भी उसके द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। विक्रय पत्र में स्पष्टतया क्रय किए गए भू–भाग का हिस्से में भी उल्लेख किया गया है। प्रार्थी के अनुसार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा केवल इस आधार पर इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा रहा है कि ऑनलाइन साफ्टवेयर में तरमीम का ऑप्शन नहीं आने के कारण तरमीम नहीं की जा सकती तथा इसी कारण इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का आगे कथन है कि यदि सरकार के साफ्टवेयर में कोई कमी है, तो उसके लिए प्रार्थी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता।

उपस्थित अभिभाषक द्वारा आगे वर्णित किया गया कि तरमीम का ऑप्शन पटवारी की आईडी पर तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन एलआरसी की आईडी पर उपलब्ध है, अतः यदि न्यायालय आदेश दे तो टीडीआर व एलआरसी की आईडी से तरमीम की जा सकती है तथा इन्तकाल भी दर्ज किया जा सकता है।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर का अध्ययन किया गया। तहसील द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में नामान्तरकण कम्प्यूटर द्वारा ऑनलाईन दर्ज किए जा रहे हैं, साथ ही ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर पर विक्रय पत्र के नामा0 स्वतः स्वीकृत नामा0 दर्ज किए जा रहे है तथा प्रार्थी के संलग्न सेल डीड के अनुसार गजेन्द्र सुमन व कुलदीप शर्मा द्वारा सम्भाग रूप से वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का धाकड़खेड़ी तहसील लाडपुरा के आराजी खसरा नं0 375/234 रकबा 0.36 है0 दिनांक 26.09.2024 को क्रय की है। उक्त नामान्तकरण दर्ज करने में कोई तकनीकी समस्या नही है। प्रार्थी के तथ्य निराधार है। खसरा विभाजन एवं तरमीम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अफसर |
|---|---|

धारा 53 में वर्णित है। अतः केवल मात्र विक्रय पत्र के आधार पर विभाजन किया जाना न्याय संगत एवं विधि सम्मत नही है।

स्पष्टतया ई पंजीयन सॉफ्टवेयर से उक्त नामान्तरकरण दर्ज नही हो पाया है। सॉफ्टवेयर की किसी कमी या त्रुटि के लिए प्रार्थी प्रताड़ित नही हो सकता।

उक्त परिस्थितियों में वाद का एकमात्र निर्धारक बिन्दु वादी के पक्ष में तय किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि विक्रयपत्र दिनांक 26.09.2024 द्वारा केता 1. गजेन्द्र सुमन आयु 44 वर्ष पुत्र श्री बिरधी लाल सुमन जाति माली निवासी 7 सी 19 महावीर नगर एक्सटेन्सन दादाबाड़ी कोटा 2. कुलदीप शर्मा आयु 39 वर्ष पुत्र श्री श्याम सुन्दर जाति ब्राहम्ण निवासी 9—ए आर.के. पुरम कोटा को विक्रय की गई ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का धाकड़खेड़ी तहसील लाडपुरा के आराजी खसरा नं0 375/234 रकबा 0.36 है0 में से 0.3200 है0 उत्तरी दिशा (रोड से लगी हुई) भू—भाग को केता 1.गजेन्द्र सुमन आयु 44 वर्ष पुत्र श्री बिरधी लाल सुमन जाति माली निवासी 7 सी 19 महावीर नगर एक्सटेन्सन दादाबाड़ी कोटा 2. कुलदीप शर्मा आयु 39 वर्ष पुत्र श्री श्याम सुन्दर जाति ब्राहम्ण निवासी 9—ए आर.के.पुरम कोटा के खाते दर्ज किया जावे तथा विकय अनुसार खसरा नंबर में आवश्यक तरमीम की जावे।

निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

6/11/25

उपखण्ड अधिकारी
कोटा